

छत्तीसगढ़ शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

ESTB/16548/2025-HOME SECTION अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21-01-2026
प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय,
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।
विषय:- रायपुर जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 23.01.2026 से रायपुर जिले के अंतर्गत पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किया जाना है। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के संस्करण दिनांक 21.01.2026 में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना अनुरूप रायपुर जिले के अंतर्गत पुलिस आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार.

Digitally signed by
SHRIKANT VERMA
Date: 21-01-2026
19:14:22

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

ESTB/16548/2025-HOME SECTION अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21-01-2026

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन
 2. विशेष सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
 3. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/ विधि और विधायी कार्य विभाग/ परिवहन विभाग/ पशुधन विकास विभाग/ जेल विभाग/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ आबकारी विभाग/ श्रम विभाग/ जनसंपर्क विभाग।
 4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
 5. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर।
 6. पुलिस महानिरीक्षक, रेंज रायपुर, रायपुर।
 7. कलेक्टर, जिला-रायपुर।
 8. पुलिस अधीक्षक, जिला-रायपुर।
- की आरे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
Pooran Lal Sahu
Date: 21-01-2026
19:17:55
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 जनवरी 2026 — माघ 1, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No. ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME).- छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 का 2007) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विद्यमान पुलिस जिला अर्थात् रायपुर का पुनर्गठन करके दो पुलिस जिलों अर्थात् रायपुर नगरीय और रायपुर ग्रामीण का गठन करती है, जिनके संबंधित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित है, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रमांक	पुलिस जिले का नाम	पुलिस थाना का नाम	पुलिस प्रशासन प्रमुख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर नगरीय	1. सिविल लाईन	पुलिस महानिरीक्षक पुलिस जिला रायपुर नगरीय
		2. देवेन्द्र नगर	
		3. तेलीबांधा	
		4. कोतवाली	
		5. गंज	
		6. मौदहापारा	
		7. गोल बाज़ार	
		8. पुरानी बस्ती	
		9. डी.डी. नगर	
		10. आमनाका	
		11. आज़ाद चौक	

		12. सरस्वती नगर	
		13. कबीर नगर	
		14. राजेन्द्र नगर	
		15. मुजगहन	
		16. टिकरापारा	
		17. उरला (नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र)	
		18. खमतलाई	
		19. गुढ़ियारी	
		20. पंडरी	
		21. खम्हारडीह	
2	रायपुर ग्रामीण	1. विधानसभा	पुलिस अधीक्षक पुलिस जिला रायपुर ग्रामीण
		2. धरसीवा	
		3. खरोरा	
		4. तिल्दा नेवरा	
		5. माना	
		6. मंदिर हसौद	
		7. आरंग	
		8. नवा रायपुर	
		9. राखी	
		10. अभनपुर	
		11. गोबरा नवापारा	
		12. उरला (नगर पालिक निगम बीरगांव के बाहर आने वाला क्षेत्र)	

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही इस विभाग की अधिसूचना क्र **File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME)** दिनांक 15 जनवरी, 2026 की अनुसूची के सरल क्र. 1 में उल्लिखित रायपुर नगरीय पुलिस जिले का गठन, परिभाषित प्रादेशिक सीमाओं सहित कर दिया गया है।

यतः, रायपुर एवं बीरगांव नगरीय निकायों की समेकित जनसंख्या लगभग 19,00,000 है, जो दस लाख से अधिक है।

रायपुर नगरीय पुलिस जिले, जो एक विशिष्ट क्षेत्र है, में कानून व्यवस्था, अपराध और आंतरिक सुरक्षा के जटिल मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, शासन को पुलिसिंग की कमिशनरेट प्रणाली स्थापित करना समीचीन प्रतीत होता है। तदनुसार, इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए, पुलिस प्रशासन, पुलिस आयुक्त, रायपुर नगरीय के रूप में नामित एक अधिकारी में निहित होगा, जो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 एवं अन्य लागू विधियों के अधीन उक्त विशिष्ट क्षेत्र में शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा जो पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन होगा।

छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पुलिस अधीक्षक, रायपुर नगरीय पुलिस जिले के कार्यालय को अनुसूची-एक में उल्लिखित अधिकारियों सहित पुलिस आयुक्त, रायपुर नगरीय के कार्यालय के रूप में पुर्ननामित करती है।

इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 14 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, रायपुर नगरीय पुलिस आयुक्त को उक्त विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करती है तथा रायपुर नगरीय पुलिस जिले में पुलिस उपायुक्तों और सहायक पुलिस आयुक्तों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए संहिता की धारा 59, 125 से 143, धारा 148 से 151 तथा धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करने हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तिया प्रदत्त करती है।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रायपुर नगरीय पुलिस जिले को अनुसूची-दो के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुसार तीन भागों में विभाजित करती है, जिसमें अनुसूची-दो के कॉलम (5) में उल्लिखित पुलिस थाने भी सम्मिलित हैं।

और इसके अतिरिक्त, इस जिले के अधिकारियों का पदानुक्रम, अनुसूची-दो के कॉलम (2), (3) एवं (4) के अनुसार होगा।

अनुसूची-एक

रायपुर नगरीय पुलिस जिले के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

क्रमांक	पद (श्रेणी)	वेतनमान	विवरण	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पुलिस आयुक्त (पुलिस महानिरीक्षक)	केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रुपये) या उससे अधिक	पुलिस आयुक्त कार्यालय के पुलिस प्रमुख	1
2	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक)	केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13ए (1,31,100-2,16,600 रुपये)/ केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये) या उससे अधिक	कानून व्यवस्था, अपराध एवं मुख्यालय	1
3	पुलिस उपायुक्त (पुलिस अधीक्षक)	केन्द्रीय वेतन, कानून व्यवस्था, अपराध एवं मुख्यालय मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये) या उससे अधिक	पुलिस जिले	3
			यातायात एवं प्रोटोकॉल	1
			अपराध एवं साइबर	1
			कुल	5
4	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक)	राज्य वेतन मैट्रिक्स लेवल स्तर-12 (56,100-1,77,500 रुपये) या उससे अधिक	पुलिस जिले	3
			अपराध एवं साइबर	2
			ट्रैफिक (2) और प्रोटोकॉल (1)	3
			मुख्यालय, ट्रेनिंग, इंटेलीजेंस, (डीएसबी), अजाक, सीएडब्ल्यू	1
			कुल	9
5	सहायक पुलिस आयुक्त (सहायक पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक)	राज्य वेतन मैट्रिक्स लेवल स्तर-12 (56,100-1,77,500 रुपये) या उससे अधिक	अनुविभाग	7
			अपराध एवं साइबर	2
			पुलिस लाइन	1
			मुख्यालय, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस	1
			शिष्टाचार	1
			अजाक, सीएडब्ल्यू	3
			यातायात	6
			कुल	21

अनुसूची-दो

क्रमांक	भाग एवं पदनाम	पदनाम	पदनाम	पुलिस थाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस मध्य	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस मध्य)	सहायक पुलिस आयुक्त, (सिविल लाईन)	सिविल लाईन
				देवेन्द्र नगर
				तेलीबांधा
			सहायक पुलिस आयुक्त, (कोतवाली)	कोतवाली
				गंज
				मौदहापारा
				गोल बाज़ार
2.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस पश्चिम	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस पश्चिम)	सहायक पुलिस आयुक्त, (पुरानी बस्ती)	पुरानी बस्ती
				डी.डी. नगर
				आमानाका
			सहायक पुलिस आयुक्त, (आज़ाद चौक)	आज़ाद चौक
				सरस्वती नगर
				कबीर नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त, (राजेन्द्र नगर)	राजेन्द्र नगर
				मुजगहन
				टिकरापारा
3.	पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस उत्तर	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जिला पुलिस उत्तर)	सहायक पुलिस आयुक्त, (उरला)	उरला (नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र)
				खमतलाई
				गुढ़ियारी
			सहायक पुलिस आयुक्त, (पंडरी)	खम्हारडीह
				पंडरी

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME).- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46 का 2023) की धारा 14 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा रायपुर नगरीय के पुलिस आयुक्त को इस विभाग की अधिसूचना File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME) दिनांक. 15 जनवरी, 2026 के अधीन अधिसूचित रायपुर नगरीय पुलिस जिले के संबंध में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की समस्त कार्यों का भी निर्वहन करने हेतु निर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

1.	छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007
2.	बंदी अधिनियम, 1900
3.	विष अधिनियम, 1919
4.	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
5.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
6.	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
7.	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
8.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871
9.	छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME).- छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (13 का 2007) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सूची में यथा उल्लिखित रायपुर (ग्रामीण) जोन एवं पुलिस रेंज का पुनर्गठन करती है:-

सारणी

सरल क्रमांक	पुलिस जोन का नाम	पुलिस रेंज का नाम	पुलिस जिले
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर जोन	पुलिस उप महानिरीक्षक रायपुर (ग्रामीण) रेंज	1. रायपुर ग्रामीण 2. जिला बलौदा बाज़ार 3. जिला धमतरी 4. जिला महासमुंद 5. जिला गरियाबंद

यह अधिसूचना 23 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, अपर मुख्य सचिव.

Nawa Raipur, Atal Nagar, the 15th January 2026

NOTIFICATION

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY (HOME).— In exercise of the powers conferred by section 3,4 and 5 of Chhattisgarh Police Act, 2007 (13 of 2007), the State Government, hereby, constitutes two police district namely Raipur Urban and Raipur Rural by reconstituting the existing Police district, namely, Raipur, having respective territorial jurisdictions as mentioned in the Schedule given below for the purposes of the said Act, namely :-

SCHEDULE

S.No.	Name of Police District	Name of Police Stations	Head of the Police administration
1.	Raipur Urban	1. Civil Line	Inspector General of Police Raipur Urban Police District
		2. Devendra Nagar	
		3. Telibandha	
		4. Kotwali	
		5. Ganj	
		6. Maudahapara	
		7. Gol Bazar	
		8. Purani Basti	
		9. D. D. Nagar	
		10. Amanaka	
		11. Azad Chawk	
		12. Saraswati Nagar	
		13. Kabir Nagar	
		14. Rajendra Nagar	
		15. Mujgahan	
		16. Tikrapara	
		17. Urla (excluding villages outside nagar palik nigam birgaon territory)	
		18. Khamtarai	
		19. Gudiyari	
		20. Pandari	
		21. Khamhardih	
2.	Raipur Rural	1. Vidhansabha	Superintendent of Police Raipur Rural Police District
		2. Dharsiva	
		3. Kharora	
		4. Tilda Nevra	
		5. Mana	
		6. Mandir Hasaud	
		7. Arang	
		8. Nava Raipur	
		9. Rakhi	
		10. Abhanpur	
		11. Gobra Nawapara	
		12. Urla (including villages outside nagar palik nigam birgaon territory)	

2. This notification shall come into force with effect from 23rd January 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Additional Chief Secretary.

Nawa Raipur, Atal Nagar, the 15th January 2026

NOTIFICATION

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY (HOME).— The State Government, having already constituted the Raipur Urban Police District mentioned in serial number 1 of the schedule of this department's notification number **File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME)** dated 15th January 2026 with defined territorial limits,

Whereas, the population of Raipur and Birgaon urban body is approximately 19,00,000 which exceeds one million;

Addressing the need to effectively deal with complex issues of law and order, crime, and internal security in particular area, i.e. Raipur Urban Police District, the government finds it expedient to establish a Commissionerate System of Policing. Accordingly, for the particular area, the administration of police shall vest in an officer designated as the Commissioner of Police, Raipur Urban, Who shall exercise powers and authorities throughout the said particular area under the Chhattisgarh Police Act, 2007 and other applicable laws, subject to the general control and supervision of the Director General and Inspector General of Police, Chhattisgarh.

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Chhattisgarh Police Act, 2007, the State Government, hereby, re-designates the office of Superintendent of Police of Raipur Urban Police District, as office of the Commissioner of Police, Raipur Urban with the officers mentioned in the Schedule-1.

Further, in exercise of the powers conferred by section 14 and 15 of the Sanhita, the Commissioner of Police, Raipur Urban in conferred the power of an executive magistrate for the said particular area and the Deputy commissioners of Police and Assistant Commissioners of Police in Raipur Urban Police district are conferred the powers of executive magistrates for the area within their respective jurisdiction to exercise powers and functions under Section 59, 125 to 143, section 148 to 151, section 163 of the Sanhita;

Further, in exercise of powers conferred by section 6 of the Chhattisgarh Police Act, 2007, and to the State Government, hereby, divides the Raipur Urban Police District into three parts as mentioned in Column (2) of Schedule-II, comprising of the police stations mentioned in column (5) of Schedule-II.

And furthermore, the hierarchy of the officers of this district shall be as per column (2),(3), (4) of Schedule-II.

SCHEDULE-I

Posts of Gazetted Officers for Raipur Urban Police District

S.no.	Designation (Rank)	Pay Scale	Description	No. of Posts
1.	Commissioner of Police (Inspector General of Police)	Central Pay Matrix Level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200) or higher	Police Chief of the Commissionerate	1
2.	Additional Commissioner of Police (Deputy Inspector General of Police/ Senior Superintendent of Police)	Central Pay Matrix Level 13A (Rs. 1,31,100 2,16,600)/ Central Pay Matrix-12 (Rs. 78,800-2,09,200) or higher	Law and Order Crime & Headquarters	1
3.	Deputy Commissioner of Police (Superintendent of Police)	Central Pay Matrix Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) or higher	Police districts	3
			Traffic & Protocol	1
			Crime & Cyber	1
			Total	5
4.	Additional Deputy Commissioner of Police (Additional Superintendent of Police)	State Pay Matrix Level-12 (Rs. 56,100-1,77,500) or more	Police districts	3
			Crime & Cyber	2
			Traffic (2) & Protocol (1)	3
			Headquarters, Training, Intelligence (DSB), AJK & CAW	1
			Total	9
5.	Assistant Commissioner of Police (Assistant Superintendent of Police)	State Pay Matrix Level-12 (Rs. 56,100- 1,77,500) or more	Sub divisions	7
			Crime & Cyber	2
			Police Line	1
			Headquarters, Training, Intelligence	1
			Protocol	1
			AJK, CAW	3
			Traffic	6
			Total	21

SCHEDULE-II

S.N.	Parts and Designation	Designation	Designation	Police Station
1.	Police District Central (Deputy Commissioner of Police)	Additional Deputy Commission of Police (Police District Central)	Assistant Commissioner of Police, (Civil Line)	Civil Line
				Devendra Nagar
				Telibandha
		Assistant Commissioner of Police, (Kotwali)	Assistant Commissioner of Police, (Kotwali)	Kotwali
				Ganj
				Maudahapara
				Gol Bazar
2.	Police District West (Deputy Commissioner of Police)	Additional Deputy Commission of Police (Police District West)	Assistant Commissioner of Police, (Purani Basti)	Purani Basti
				D. D. Nagar
				Amanaka
		Assistant Commissioner of Police (Police District West)	Assistant Commissioner of Police, (Azad Chawk)	Azad Chawk
				Saraswati Nagar
				Kabir Nagar
		Assistant Commissioner of Police, (Rajendra nagar)	Assistant Commissioner of Police, (Rajendra nagar)	Rajendra Nagar
				Mujgahan
				Tikrapara
3.	Police District North (Deputy Commissioner of Police)	Additional Deputy Commissioner of Police (Police District North)	Assistant Commissioner of Police (Urla)	Urla (excluding villages outside Nagar Palik Nigam birgaon territory)
				Khamtarai
				Gudiyari
		Assistant Commissioner of Police (Pandri)	Assistant Commissioner of Police (Pandri)	Pandri
				Khamhardih

2. This notification shall come into force with effect from 23rd January 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Additional Chief Secretary.

Nawa Raipur, Atal Nagar, the 15th January 2026

NOTIFICATION

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY (HOME).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 14 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) the State Government, hereby, pleased to specifies the Commissioner of Police, Raipur Urban to also discharge all the functions of District Magistrate for the purposes of the Acts mentioned in the Schedule below in relation to the of Raipur Urban police district as notified under this department's Notification **File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY(HOME)** dated 15th January 2026 namely :-

1.	Chhattisgarh Police Act, 2007
2.	The Prisoners Act, 1900
3.	The Poisons Act, 1919
4.	The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
5.	The Motor Vehicles Act, 1988
6.	The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
7.	The Official Secrets Act, 1923
8.	The Cattle Trespass Act, 1871
9.	Chhattisgarh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990

2. This notification shall come into force with effect from 23rd January 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Additional Chief Secretary.

Nawa Raipur, Atal Nagar, the 15th January 2026

NOTIFICATION

File No.:ESTB/16548/2025-O/O DEPUTY SECRETARY (HOME).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (13 of 2007), the State Government, hereby, reconstitutes Raipur (Rural) Zone and Police Range as mentioned in the table below:-

TABLE

S.N.	Name of Police Zone	Name of Police Range	Police Districts
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inspector General of Police, Raipur Zone	Deputy Inspector General of Police, Raipur (Rural) Range	1. Raipur Rural 2. District Baloda Bazar 3. District Dhamtari 4. District Mahasamund 5. District Gariyaband

2. This notification shall come into force with effect from 23rd January 2026.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Additional Chief Secretary.